मुलाराम बनाम पारा देवी मु.नं. 02/18

दिनांक	आज्ञा पत्र	
	पत्रावील पेश । अपील अपीलांट...खारिज... की जाती है। निर्णय पृथक से लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया। प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो। भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर	

न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : अनिल कुमार II, RAS

अपील संख्या 02/2018

1 मूलाराम उम्र 60 साल पुत्र चन्द्राराम जाति जाट निवासी ग्राम नयाबास तहसील फतेहपुर जिला सीकर राज.।

अपीलांटस

बनाम

1 पारा देवी उम्र 52 साल पत्नी स्व. हणमान
2 सुरेन्द्र उर्फ दिनदयाल उम्र 35 साल दत्तक पुत्र स्व. गीदाराम
3 नौरंग राम उम्र 52 साल
4 जीवन उम्र 50 साल
5 ओनाड़ उम्र 48 साल
6 नेमीचन्द उम्र 46 साल
7 शिशपाल उम्र 43 साल पुत्रगण गणपत
8 नारायणी उम्र 74 साल पत्नी गणपत
समस्त जाति जाट निवासी ग्राम नयाबास तहसील फतेहपुर जिला सीकर राज.।
9 पटवारी हल्का नयाबास तहसील फतेहपुर जिला सीकर राज.।
10 तहसीलदार फतेहपुर जिला सीकर राज.।

रेस्पोडेन्टस

अपील अन्तर्गत धारा 225 राज. काश्त. अधि. 1955
विरूद्ध निर्णय दिनांक 27.12.2017 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी फतेहपुर सीकर पीठासीन अधिकारी रेनू मीणा आरएएस टी.आई. आवेदन संख्या 69/2015 बउनवानी मूलाराम बनाम पारादेवी आदि अ. धारा 212 आरटीए सपठित धारा 151 जाप्ता दीवानी

भू-प्रबन्ध
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

उपस्थिति :

1. श्री प्रभातीलाल, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री सांवरमल, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट

–निर्णय–

दिनांकः– 26/5/25

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी फतेहपुर द्वारा मुकदमा नम्बर 69/2015 में पारित निर्णय दिनांक 27.12.2017के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय में प्रार्थी अपीलान्ट ने एक प्रार्थना पत्र अ.धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम व धारा 151 सीपीसी बाबत भूमि खसरा नम्बर 193/271 वाके ग्राम नया बास का पेश किया। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से प्रार्थना पत्र स्वीकार उभयपक्ष को तादौराने वाद विवादित भूमि की मौके व रिकार्ड की यथास्थिति के लिए पाबंद कर दिया। इससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि अपीलान्ट ने अपने 1/8 हिस्सा की भूमि का अप्रार्थी पारादेवी को किसी अपंजीकृत विक्रय हेतु करार के आधार पर बेचान किया था, नाही अप्रार्थी संख्या 1 पारादेवी को कभी कब्जा सम्भलाया था, ना ही अपंजीकृत विक्रय का करार के आधार पर राजस्व न्यायालय के समक्ष किसी प्रतिवादी द्वारा प्रतिरक्षा की जा सकती है। नाही अपंजीकृत दस्तावेज के आधार पर राजस्व न्यायालय के समक्ष कोई वाद प्रस्तुत होता है नाही विभाजन के वाद में किसी अपंजीकृत विक्रय का करार को आधार बनाकर अस्थायी निषेधाज्ञा खारिज की जा सकती है। प्रथमतया अपीलान्ट ने रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को भूमि का कभी भी बेचान नहीं किया। यदि अप्रार्थी के पास इस प्रकार का कोई अंजीकृत विक्रय का करार है तो वह उक्त करार की पालना की डिक्री सक्षम सिविल न्यायालय से, जब तक प्राप्त नही कर लेवे

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

एवं अपीलान्ट के स्थान पर राजस्व रिकार्ड में 1/8 हिस्सा पर अपना नाम दर्ज नहीं करवा लेवे तब तक उसे राजस्व न्यायालय से कोई सहायता प्राप्त नहीं हो सकती, नाही विचारण न्यायालय द्वारा इस प्रकार के किसी विधि विरूद्ध आधार पर अस्थायी निषेधाज्ञा का आवेदन खारिज कर सकता था। इसलिये चुनौतीग्रस्त निर्णय विरूद्ध पत्रावली एवं विधि विरूद्ध होने के कारण निरस्त किया जाने योग्य है। प्रथम दृष्टया मामला राजस्व रिकार्ड के आधार पर प्रार्थी के पक्ष में नहीं होना, जिस प्रकार से विचारण न्यायालय ने मान्य किया, यह भी समझ से परे है क्योंकि अपीलान्ट इन कृषि भूमियों में 1/8 हिस्से का रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है तथा यदि विपक्षीगण सहखातेदार का हिस्सा होने से इन्कार कर दे तो उसस्थिति में मूलवाद के निर्णय तक भूमि को दावा दायरी के समय की स्थिति में रखा जाना न्याय संगत होता है तथा सहखातेदार होने मात्र से भूमि से विशिष्ट भू–भाग पर निर्माण कार्य करके भूमि के स्वरूप को परिवर्तित करने की किसी भी पक्षकार को खुली छूट दिया जाना, न्याय का गला घोटने के समान है। इसके अलावा यहां यह भी उल्लेखनीय है कि अपीलानट वादग्रस्त कृषि भूमियों में 1/8 हिस्से का रिकार्डेड खातेदार होने के कारण सुविधा का संतुलन अपीलान्ट के पक्ष में था और यदि रेस्पोडेन्ट जबरन ताकत के बल पर बिना बंटवारा करवाये कृषि भूमि के स्वरूप को परिवर्तित करे अथवा विशिष्ट भाग पर अनाधिकृत कब्जा करे, अथवा किसी विशिष्ट भाग को अंतरित करे तो अपूरणीय क्षति अपीलान्ट की ही होती है। फिर भी विचारण न्यायालय ने अस्थायी निषेधाज्ञा के आवेदन को खारिज कर दिया तथा किसी भी प्रकार का कोई विवेचन नहीं किया। इसलिये विचाराधीन निर्णय को खारिज किया जाना प्रार्थनीय है। अपील स्वीकार की जावें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने तर्क दिया कि प्रस्तुत प्रकरण में प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना–पत्र एवं मूलवाद में खसरा नम्बर 193/271 का ही वाद एवं प्रार्थना पत्र पेश किया गया है जबकि प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण की अन्य भूमि खसरा नम्बर 6, 8, 36, 88/289 व 88/290 और है जिनको प्रार्थी ने अपने वाद/प्रार्थना पत्र में शामिल नहीं किया गया है अप्रार्थीगण संख्या 2 द्वारा वर्ष 2004 में इस न्यायालय में वाद/प्रार्थना पत्र पेश किया था जिसमें प्रार्थी/वादी के पिता का नाम मूलाराम उर्फ मूलचन्द दर्ज किया था और प्रार्थी मूलाराम द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में प्रति. संख्या 2 के पिता

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

का नाम दत्तक पुत्र गीदाराम अंकित किया गया है तथा अप्रार्थी संख्या 6 के पिता का नाम गणपत दर्ज किया है जबकि दिनांक 17.09.1993 के रजिस्टर्ड गोदनामें के अनुसार अप्रार्थी संख्या 6 नेमीचन्द के पिता का नाम नेमीचन्द दत्तक पुत्र हणमानाराम है। प्रार्थी द्वारा दिनांक 12.07.2004 को अप्रार्थी संख्या 1 पारा देवी हिस्सा 1/2 व अप्रार्थी संख्या 9 भींवाराम हिस्सा 1/2 जरिये नोटेरी विक्रय पत्र खसरा नम्बर 193/271 रकबा 3.41 हैक्टैयर भूमि में विक्रेतागण (मूलाराम आदि) का हिस्सा 1/8–1/8 सम्पूर्ण भूमि का बेचान किया गया है। धारा 53 ए एवं सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 आदेश 39 नियम 1 व 2 के अनुसार अपंजिकृत विक्रय हेतु करार के आधार पर विनस्थ पालना के लिये वाद पंजीयन अनिवार्य अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा का दावा नहीं कर सकता है। प्रथम दृष्टया मामला रिकार्ड के आधार पर प्रार्थी के पक्ष में नहीं है। प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में नहीं होने से सुविधा का संतुलन भी प्रार्थी के पक्ष में नहीं है प्रथम दृष्टया मामला एवं सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में नहीं होने से प्रार्थी को अपूर्ण हानि नहीं हो रही है। विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत है। अपील सारहीन है। खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता अपीलांट की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रस्तुत प्रकरण में विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 12.05.2016 को विवादित भूमि के संदर्भ में ताफैसला वाद अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गई थी। इस निर्णय के विरूद्ध इस न्यायालय में अपील संख्या 42/2016 प्रस्तुत की गई थी। यह अपील निर्णय दिनांक 14.02.2017 से स्वीकार की जाकर प्रकरण विचारण न्यायालय को प्रार्थना पत्र आदेश 09 नियम 07 का निस्तारण करते हुए धारा 212 के तीनों घटकों पर विवेचन कर पुनः निर्णय के निर्देश के साथ रिमांड की गई। इस निर्णय के विरूद्ध माननीय राजस्व मण्डल अजमेर में निगरानी प्रस्तुत की गई। माननीय मण्डल द्वारा निर्णय दिनांक 03.05.2017 से निगरानी खारिज की गई है। इसके उपरांत विचारण न्यायालय ने उभयपक्ष को सुनकर विचाराधीन निर्णय से धारा 212 का आवेदन खारिज किया है।

प्रस्तुत प्रकरण में विचारण न्यायालय ने विचाराधीन निर्णय आदेशिका पर पारित कर रेवेन्यू कोर्ट मेन्यूअल के विधिक प्रावधानों की अवहेलना की

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

है। विचारण न्यायालय ने इस न्यायालय द्वारा दिये गये निर्देशों की पालना में पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य का प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति का बिन्दुवार विवेचन व विश्लेषण किये बिना विचाराधीन निर्णय पारित कर विधिक त्रुटि की है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत नहीं माना जा सकता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय अपास्त किया जाकर प्रकरण विचारण न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि रेवेन्यू कोर्ट मेन्यूअल के विधिक प्रावधानों के अनुसार पृथक से पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य का विवेचन कर प्रथम दृष्टया मामला सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति के बिन्दु का निस्तारण कर प्रकरण में गुणावगुण पर पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें। उभयपक्ष विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 30.06.2025 को उपस्थिति देवें।

निर्णय आज दिनांक 26/5/25 को सरे इजलास सुनाया गया।

(अनिल कुमार [illegible])
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर